राजस्थान सरकार

कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर

क्रमांक :–प 32(बी)(1)आब / एल / 2019–2020 / 4005 दिनांक :– 11.03.2019

पड़त देशी मदिरा रिटेल दुकानों / दुकान समूहों के अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन आमंत्रण की नियत तिथि को बढाई जाने की संशोधित सूचना

इस कार्यालय द्वारा पड़त देशी मदिरा रिटेल दुकानों / दुकान समूहों के अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन आमंत्रण के संबंध में **पूर्व जारी विज्ञप्ति क्रमांक 3977 दिनांक 06.03.2019 के बिन्दु संख्या 5, 11 एवं 13 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–**

- 5. विभागीय वेबसाईट **https://www.rajexciseapplication2019-20.org** एवं **https://rajexcise.gov.in** पर ऑनलाईन आवेदन के लिये अन्तिम तिथि 11.03.2019 को सायं 6.00 बजे से बढाई जाकर दिनांक 13.03.2019 को मध्यरात्रि 12.00 बजे तक किया जाता है। अर्थात् ऑनलाईन आवेदन विभागीय वेबसाईट पर अब दिनांक 13.03.2019 को मध्यरात्रि 12.00 बजे तक भरे जा सकते हैं। इसके पश्चात् ऑनलाईन आवेदन करने का लिंक समाप्त हो जायेगा।
- 11 आवेदन शुल्क का इन्टरनेट बैंकिग एवं ई–मित्र से ऑनलाईन भुगतान करने वाले आवेदकों के अलावा अन्य सभी आवेदकों को ऑनलाईन आवेदन के पश्चात् उसकी प्रिन्टेड़ कॉपी, आवेदन शुल्क के चालान / डिमान्ड ड्राफ्ट संलग्न करते हुये दिनांक 14.03.2019 को 6 पीएम तक संबंधित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। **किसी भी परिस्थिति में ये प्रिन्टेड़ कॉपी एवं चालान / डिमाण्ड ड्राफ्ट 14.03.2019 को 6 पीएम के बाद स्वीकार्य नही होंगे।**
- 13 किसी दुकान / दुकान समूह हेतु एकाधिक आवेदन प्राप्त होने पर सफल आवेदक का चयन लॉटरी की प्रक्रिया द्वारा किया जावेगा। लॉटरी पूर्वानुसार ही राज्य सरकार द्वारा गठित समिति के सदस्यों के समक्ष दिनांक 18.03.2019 को प्रातः 11.00 ए.एम.बजे से जिला मुख्यालय पर निकाली जायेगी, जो आवश्यकता होने पर आगामी कार्यदिवस को भी जारी रहेगी। लॉटरी निकालने के स्थान की जानकारी / सूचना जिला कलक्टर एंव सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध करा दी जावेगी।

अन्य सभी शर्तें यथावत् रहेंगी।

11.3.19

**आबकारी आयुक्त,
राजस्थान, उदयपुर**

Scanned by CamScanner